जनजाति विकास एवं गरीबी उन्मूलन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ, उद्देश्य, महत्व तथा इनसे संबंधित नीतियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

प्रस्तावना

भारत विविध संस्कृतियों और समुदायों वाला देश है। इनमें जनजातियाँ (Tribes) देश की प्राचीन एवं विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से लंबे समय तक उपेक्षित रहने के कारण इनके विकास के लिए विशेष नीतियाँ बनाई गई हैं। इसी प्रकार गरीबी भारत की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्या रही है, जिसके समाधान के लिए सरकार द्वारा अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जनजाति विकास एवं गरीबी उन्मूलन दोनों का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

1. जनजाति विकास (Tribal Development)

अर्थ

जनजाति विकास से आशय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक विकास के लिए किए जाने वाले योजनाबद्ध प्रयासों से है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

परिभाषा

जनजाति विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है।

जनजाति विकास की विशेषताएँ

1. जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण।

2. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

3. आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार के अवसर।

4. भूमि एवं वन अधिकारों की सुरक्षा।

5. जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास।

6. स्थानीय संसाधनों एवं जनसहभागिता पर बल।

7. सामाजिक न्याय एवं समान अवसर सुनिश्चित करना।

जनजाति विकास के उद्देश्य

अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।

गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करना।

जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण।

महिलाओं एवं बच्चों का सशक्तिकरण।

वन एवं भूमि अधिकारों की रक्षा।

मुख्यधारा के विकास में जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

जनजाति विकास का महत्व

सामाजिक समानता एवं न्याय को बढ़ावा मिलता है।

जनजातीय समुदाय आत्मनिर्भर बनते हैं।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है।

क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं।

राष्ट्रीय विकास में जनजातीय समुदाय का योगदान बढ़ता है।

2. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)

अर्थ

गरीबी उन्मूलन का अर्थ है ऐसी योजनाएँ एवं कार्यक्रम लागू करना जिनसे गरीब व्यक्तियों की आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार हो तथा वे गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें।

परिभाषा

गरीबी उन्मूलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गरीब व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, आय वृद्धि तथा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाता है।

गरीबी उन्मूलन की विशेषताएँ

1. रोजगार सृजन पर बल।

2. स्वरोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा।

3. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।

4. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन।

5. गरीब एवं कमजोर वर्गों को प्राथमिकता।

6. समावेशी एवं सतत विकास पर बल।

गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य

गरीबी एवं बेरोजगारी कम करना।

आय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।

सामाजिक एवं आर्थिक असमानता कम करना।

महिलाओं एवं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण।

सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराना।

गरीबी उन्मूलन का महत्व

सामाजिक न्याय की स्थापना।

आर्थिक विकास को गति मिलती है।

अपराध एवं शोषण में कमी आती है।

मानव संसाधनों का विकास होता है।

सामाजिक स्थिरता एवं राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित होती है।

जनजाति विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएँ

1. जनजातीय उपयोजना (Tribal Sub Plan - TSP)

जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु विशेष वित्तीय प्रावधान।

2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act)

अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को वन भूमि एवं संसाधनों पर अधिकार प्रदान करना।

3. पेसा अधिनियम, 1996 (PESA Act)

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिक अधिकार एवं स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना।

4. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

5. प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PM Janman)

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के समग्र विकास के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना।

7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीब परिवारों की आय एवं आजीविका बढ़ाना।

8. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना।

9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

10. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना।

समाज कार्य के दृष्टिकोण से महत्व

वंचित एवं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण।

सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों की रक्षा।

सामुदायिक संगठन एवं जनसहभागिता को बढ़ावा।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका के अवसरों का विस्तार।

समावेशी एवं सतत विकास को प्रोत्साहन।

निष्कर्ष

जनजाति विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत के समावेशी विकास की आधारशिला हैं। इनका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारों के माध्यम से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रभावी नीतियों, जनसहभागिता तथा सुशासन के माध्यम से ही सामाजिक न्याय और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।